तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 15/2022 महेन्द्र कुमार शर्मा बनाम सेडमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2022	हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा के आदेश दिनांक 21.03.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2018 की जानकारी अपीलांट को पूर्व में कदापि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2018 को यह कह दिया था कि अब आने की आवश्यकता नहीं है।जब भी आवश्यकता होगी नोटिस देकर आपको बुला लेंगे तथा सूचना भिजवा देंगे किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी तथा ना ही कोई तारीख बताई गई तथा सूचना के दिनांक 21.03.18 को निर्णय पारित कर दिया। अब दिनांक 08.02.2022 को अपीलांट अपने गांव आया तथा पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि नामांतरण तो 21.03. 2018 को ही स्वीकृत हो गया। जिस पर नामांतरण की नकल प्राप्त कर अपील उप तहसील कार्यालय में गया तथा दिनांक 14.02.2022 को नकल का आवेदन किया तथा नकल प्राप्त कर और कानूनी सलाह लेकर जानकारी तिथि से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील को रिकॉर्ड पर अंदर मियाद मान कर स्वीकृत फरमाए। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार थे तथा न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों को सुनकर एवं पर्याप्त अवसर देकर गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में भी समुचित कारण नहीं दिए गए।ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रारम्भिक स्तर पर मियाद बाहर होने के कारण निरस्त फरमाए। विद्वान वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में वेस्टर्न लॉ केसेस राज0 2019 (तीन) पेज 554 एवं वेस्टर्न लॉ केसेस (सुप्रीम कोर्ट) सिविल 2019 (पार्ट वन) पेज 796 की नजीर भी पेश की गई। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट भी पक्षकार थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर निर्णय पारित किया है।	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 15/2022 महेश कुमार शर्मा बनाम सेठमल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं रही। प्रार्थी का यह कथन विश्वास योग्य नहीं है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं रही क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार था तथा न्यायालय द्वारा समुचित अवसर देकर गुण दोष के आधार पर निर्णय पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर होने से स्वीकार योग्य नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है। अतः आदेश है कि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से एवं ग्रहण योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ गिरीश पाराशर) अति० संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner